पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

कार्यालयः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।

Mobile No. 9473378173 **Email ID: kaimurdfo@gmail.com**

पत्रांक 2193 /

प्रेषक,

चंचल प्रकाशम्, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

भभुआ– 821101, दिनांक– 10 / 07 / 2024

विषय :– कैमूर जिलान्तर्गत स्थित मुंडेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.3094 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में। (PF/BR/Others/42268/2019)

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) बिहार, पटना का पत्रांक 276 दिनांक 08.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि कैमूर जिलान्तर्गत स्थित मुंडश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ निर्माण कार्य संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण इस प्रकार है–

कंडिका	की गई पृच्छा	निराकरण	अभियुक्ति
i	The forest area applied for proposed diversion is 1.3094 Ha but on examination, the area of the uploaded .kml file is showing 0.469 ha only. This needs rectification.	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा PARIVESH portal पर प्रविष्टि कर दी गई है	
ii	The .kml, toposheet and DGPS map uploaded at Sl no. 13 in Part-II of the proposal for proposed CA site are not available/visible on portal. Corrected .kml file of proposed CA area, toposheet and DGPS map need to be re-uploaded on PARIVESH portal.	इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।	
iii	Proposed CA land of aera 6.43 acre (2.6 ha.) is situated in Tori Mauza, Bhabua range, Kaimur Forest Division, Bhabua. The state government may clarify whether this is revenue/un-notified forest provided as per Rule 13(3) (a) of new Rules 2023 or otherwise.	इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।	
iv	Site suitability certificate of proposed CA area too needs to be uploaded on portal.	इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।	

v	Undertaking for FRA certificate also requires to be uploaded on portal.	इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।	

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु–यथो0

विश्वासभाजन,

10/07/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।

ज्ञापांक– 2193 दिनांक– 10 / 07 / 2024

प्रतिलिपिः– सानुलग्नक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु–यथो0

10/07/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।

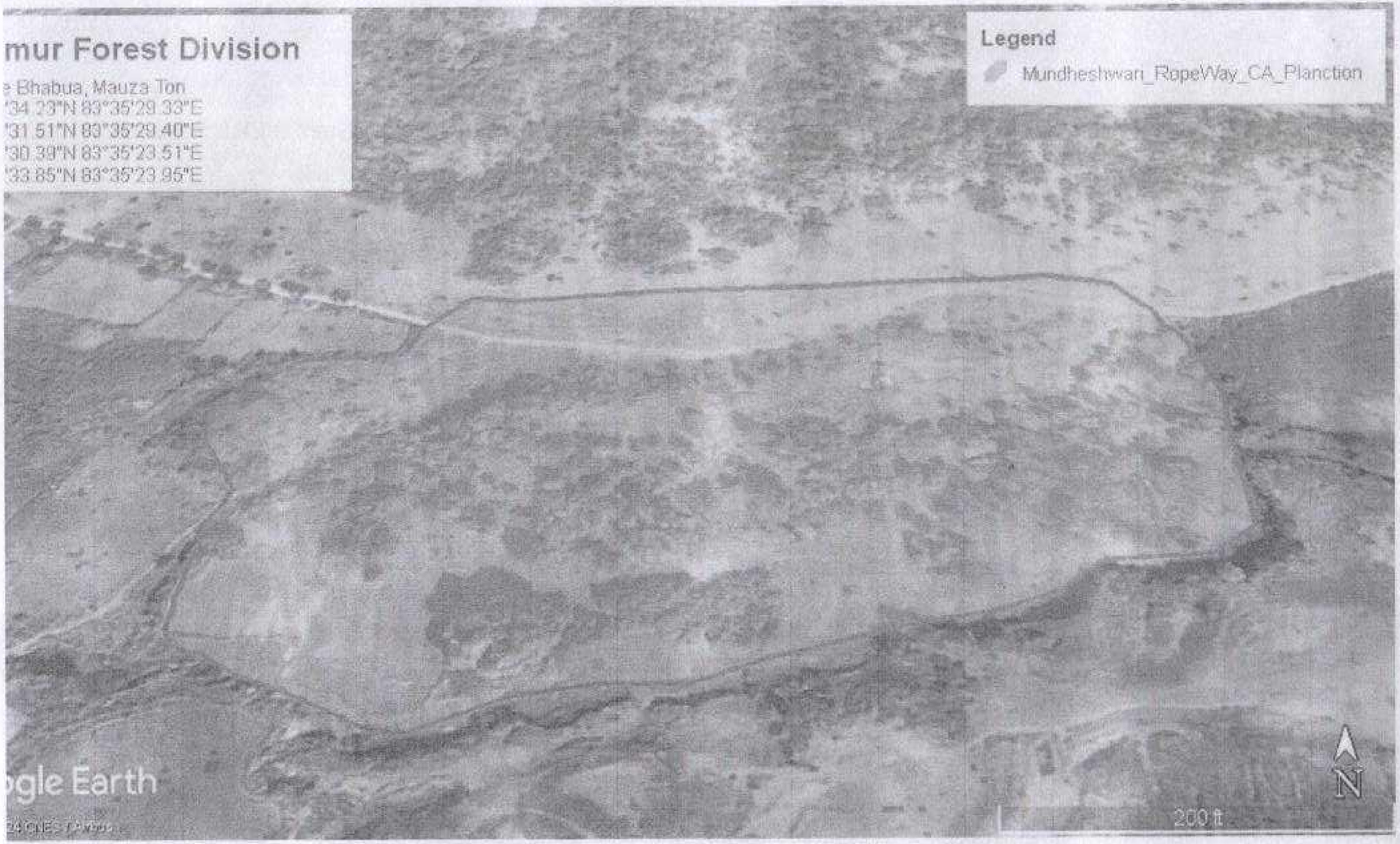

Divisional Forest Officer
Kaimur Forest Division, Bhabua

No- G44X9_63P9

Mundheshwari RopeWay CA Plantation Toposheet

Divisional Forest Officer
Kaimur Forest Divison, Bhabua

प्रमाणित किया जाता है कि कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत कैमूर जिला में स्थित मुंडश्वरी पर्वत हेतु 'रोपवे' (रज्जू पथ) के निर्माण के लिए अपयोजित होने वाले 1.3097 हे0 के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल जिसका राजस्व अंचल–भभुआ ,राजस्व थाना सं0–366, मौजा– टोड़ी, प्लाट सं0– 643 एवं 462, रकबा– 2.6 हे0 है, जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

14/07/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ।

अनुसूची 14 – फारम सं0 – 562 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

कैमूर जिलान्तर्गत अंचल–भगवानपुर के पौरा पहाडी पर अवस्थित माँ मुण्डेश्वरी धाम में बन रहे आकाशीय रज्जू मार्ग हेतु ली जाने वाली भूमि 1.309 हे0 के बदले वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने वाली अंचल–भगवानपुर के मौजा–टोडी, थाना नं0–366, खाता नं0–643 चक/462 (सर्वे), खेसरा संख्या–590 चक/473 (सर्वे) में वन संरक्षण नियमावली 2003 (यथा संशोधित 2019) के अध्याय 2 की कंडिका–2.4 में सन्निहित प्रावधान के तहत 6.46 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म जंगल झाड़ी भूमि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु अभिलेख संख्या–1/2021–22 समाहर्त्ता, कैमूर के अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित भूमि शमसान, कब्रिस्तान से मुक्त है तथा सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है। उक्त प्रस्ताव में माँ मुण्डेश्वरी धाम पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अपयोजित किये जाने वाली भूमि वन संरक्षण नियमावली 2003 (यथा संशोधित 2019) के अध्याय 2 की कंडिका–2.4 में सन्निहित प्रावधान के तहत निःशुल्क हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त के आलोक में समाहर्त्ता, कैमूर से प्राप्त अभिलेख सं0–1/2021–22 को विभागीय पत्रांक– 359 (6)/रा0, दिनांक–19.05.2014 के आलोक में समाहर्त्ता, कैमूर द्वारा अनुशंसित अभिलेख सं0–1/2021–22 को अनुशंसा के साथ सरकार के स्तर से निर्णय एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाय।

24/5/22

आयुक्त,

पटना प्रमंडल, पटना।

उप निदेशक, खाद्य-सह-प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-217/रा0, दिनांक-24.03.2022 से अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वन संरक्षण नियमावली, 2003 के अध्याय-02 की कंडिका-2.4 में सन्निहित प्रावधान के तहत भू-हस्तानान्तरण के प्रस्ताव का मांग किया गया, के आलोक में अंचलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा भू-हस्तानान्तरण का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। माँ मुण्डेश्वरी धाम पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अपयोजित की जाने वाली भूमि मौजा-टोड़ी, थाना नं0-366, खाता सं0-643/462, खेसरा सं0-590/473, रकबा-6.46 ए0 अनावाद बिहार सरकार, किस्म-जंगल झाड़ी भूमि का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी नजरी नक्शा के अनुसार उत्तर में वन विभाग, दक्षिण में खेसरा सं0-477, पूरब में बिहार सरकार एवं पश्चिम में बिहार सरकार है।

अभिलेख में विभागीय अधियाचना, अनुपालन प्रतिवेदन, चेक स्लिप, नजरी नक्शा, सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि एवं सत्यापित प्रति, स्थल जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। लगान प्रति एकड़ 20 रूपये अलावे शेष देय है। प्रस्तावित भूमि का सलामी देय नहीं है।

अंचलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा अपने आदेश फलक में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि अनावाद बिहार सरकार खाते की है। भूमि वर्तमान में परती है। प्रस्तावित भूमि श्मशान, कब्रिस्तान से मुक्त तथा सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है। भूमि हस्तानान्तरण की अनुशंसा अंचलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा की गयी है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भभुआ, अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ एवं अपर समाहर्त्ता, कैमूर (भभुआ) द्वारा भी माँ मुण्डेश्वरी धाम पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अपयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित रकबा-6.46 ए0 वन विभाग को नि:शुल्क हस्तानान्तरण करने की अनुशंसा की गयी है।

अत: उक्त अनुशंसा के आलोक में माँ मुण्डेश्वरी धाम पर आकाशीय रज्जू पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अपयोजित की जाने वाली भूमि मौजा-टोड़ी, थाना नं0-366, खाता सं0-643/462, खेसरा सं0-590/473, रकबा-6.46 ए0 अनावाद बिहार सरकार, किस्म-जंगल झाड़ी भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,बिहार सरकार को हस्तानान्तरण हेतु भूमि हस्तानान्तरण वाद सं0-01/2021-22 अभिलेख वन संरक्षण नियमावली, 2003 के अध्याय-02 की कंडिका-2.4 में सन्निहित प्रावधान के तहत नि:शुल्क हस्तानान्तरण की अनुशंसा की जाती है। तदनुसार भूमि हस्तानान्तरण वाद सं0-01/2021-22 अभिलेख स्वीकृति हेतु आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को भेजा जाता है।

17/5

समाहर्त्ता,
कैमूर (भभुआ)।

Scanned by CamScanner

Annexure-1

FORM-1

(for linear projects)

Governmet of Bihar

Office of the District Collector, Kaimur (Bhabhua)

****

No. 812 Date. 23/02/22

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes road with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.309 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited** (name of user agency) for **Construction of Arial Passenger Ropeway** (purpose for diversion of forest land) in Kaimur District falls within jurisdiction of **Mundeshwari Hill** village(s) in **Bhagwanpur** tehsils.

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.309 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

23/2

(Navdeep Shukla)
District Magistrate,
Kaimur (Bhabhua)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत कैमूर जिला में स्थित मुंडेश्वरी पर्वत हेतु 'रोपवे' (रज्जू पथ) के निर्माण हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि 1.3094 हे0 के लिये जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र (सभी अनुलग्नकों सहित) प्राप्त कर स्टेज–I शर्तों के अनुपालन के साथ परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

19/06/24

वरीय परियोजना अभियन्ता
बि.रा.पु.नि.नि.लि.
कार्य प्रमंडल, आरा।

19/6/24